

(वैयक्तिक ग्राहक के पैन/फॉर्म 60 सहित केवाईसी जानकारी में पते में परिवर्तन होने की स्थिति में स्व-घोषणा)

खाता धारक का नाम

खाता/ग्राहक पहचान संख्या

(एकाधिक खातों के लिए अलग-अलग जमा करने की आवश्यकता नहीं है, एकाधिक खातों में आईडी अनिवार्य है)

संपर्क/मोबाइल नंबर :

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे पते के विवरण में जो यहां प्रस्तुत किया गया है के अलावा केवाईसी जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं है:

पत्राचार का पता

.....
.....

शहरपिन कोड..... राज्य.....

मैं यह भी वचन देता हूँ कि मैंने पहले ही पैन संख्या/ फॉर्म 60 जमा कर दिया है। (जो लागू न हो काट दें)

.....
(खाताधारको के हस्ताक्षर)

संलग्नक: पता का वैध प्रमाण (वर्तमान पता)

संयुक्त खाते के मामले में सभी खाताधारकों को केवाईसी अद्यतन करने हेतु आवश्यक घोषणा पैन/फॉर्म 60 जमा करनी होगी।

शाखा के उपयोग हेतु

ग्राहक को पावती की तारीख :

सीबीएस मेंको सत्यापित द्वारा सीबीएस से हस्ताक्षर सत्यापित

.....
(अधिकारी के हस्ताक्षर)

ग्राहक पावती प्रति

खाता सं./पहचान सं.:

पुनः केवाईसी हेतु प्राप्त घोषणा और दस्तावेज।

पावती दिनांक

बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुहर